

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-खाड़ी म जयपुर-302005)

Telefax:0141-2222403

E-mail-dlbrajasthan@gmail.com

web: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: पीआरओ/डीएलबी/2018/7876

दिनांक: 6/6/2018

मेसर्स एन.एस. पल्लिसिटी

इण्डिया प्राइवेट लि.

जयपुर

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन एवं स्टार रेटिंग ऑफ गार्डेज फ्री सिटीज के अन्तर्गत आमजन में जागरूकता पैदा करने हेतु प्रचार-प्रसार के लिए नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित राजकीय होर्डिंग्स/यूनीपोल साईंटर्स पर फलैक्स लगाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत राज्य की समस्त नगरीय निकायों में स्वच्छ भारत मिशन एवं स्टार रेटिंग ऑफ गार्डेज फ्री सिटीज के अन्तर्गत मुख्यमंत्री जल स्वाचलन अभियान के तहत लगाये जाने वाले फलैक्स के अतिरिक्त शेष उपलब्ध राजकीय होर्डिंग्स/यूनीपोल एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों में भीलाभी से शेष रहे होर्डिंग्स/यूनीपोल/गेन्ट्रीज पर निर्धारित डिजाइन के अनुसार फलैक्स लगाये जाने हैं।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आदेश क्रमांक 23291-98 दिनांक 21.11.2017 द्वारा आगामी 12 माह के लिए आउटडोर मिडिया के लिये (होर्डिंग्स/यूनीपोल पर फलैक्स लगाये जाने सहित) आपकी फर्म की दरें स्वीकृत की गई हैं। डीआईपीआर (राजस्थान संचाद) द्वारा होर्डिंग्स/यूनीपोल पर फलैक्स लगाने की दरें निम्नानुसार हैं:-

Description	Items	Rate of Flex (per sq. ft.)	Installation/ Mounting/ Pasting Charges of Flex	Total Rate (per sq. ft.)
Printing of Flex Solvent 4 Pass	Hoarding	11/-	4/-	15/-
	Unipole	11/-	4/-	15/-

नोट: उक्त दरों पर नियमानुसार GST पृथक से देय होगा।

आप उक्तानुसार डीआईपीआर दरों पर निम्न शर्तों के अध्यधीन रालम्ब सूची एवं डिजाइन के अनुसार 07 दिवस में कार्य सम्पादित करें:-

जारी:-

- फर्म द्वारा निर्धारित डिजाइन की बताये गये स्थल (मीट्रो पर उल्क्ष होर्डिंग्स/यूनीपोल/गेन्ट्रीज/बस शेल्टर्स जहाँ है जैसी स्थिति में है) पर निर्धारित रपेसिफिकेशन के अनुसार फलैक्स लगाना होगा।
- होर्डिंग्स/यूनीपोल की वास्तविक लम्बाई व चौड़ाई (20x10 व 40x10) वर्ग फीट की गणना की जायेगी।
- फलैक्स पेरिटंग/फिक्सिंग के कार्य में प्रिन्टिंग का कार्य स्पष्ट एवं अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए एवं पेरिटंग/फिक्सिंग में कोई रालबट इत्यादि नहीं होनी चाहिए।

4. होर्डिंग्स/यूनीफॉल/गेन्ट्रीज पर लगाये गये पलैवस के भुगतान का बिल मय प्रत्येक होर्डिंग्स/यूनीफॉल/गेन्ट्रीज की फोटोग्राफ मय दिनांक एवं लोकेशन कर्म दस्तावेज सहित निदेशालय में प्रस्तुत करेगी।
5. जयपुर शहर में कर्म द्वारा लगाये जाने वाले होर्डिंग्स का भौतिक सत्यापन विभागीय प्रतिनिधि द्वारा किया जाकर प्रमाणन किया जायेगा तथा अन्य स्थानों पर लगाये जाने वाले होर्डिंग्स का सत्यापन एवं प्रमाणन Geotagging से प्राप्त सूचना/फोटोग्राफ के आधार पर किया जायेगा।
6. वास्तविक राशि की गणना पलैवस लगाने के आधार पर होगी।
7. कार्य को निर्धारित समयावधि में किया जाना होगा।
8. कार्य की मात्रा/अवधि नियमानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकेगी।
9. RTPP Act 2012 /Rule 2013 में समरूप प्रावधान लागू रहेंगे।
10. विवाद की रिक्ति में निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
11. न्यायिक क्षेत्र जयपुर स्थित राक्षम न्यायालय होगा।

अलगन— विज्ञापन का डिजाईन।




(प्रवेश अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव
दिनांक : 6/6/2018

क्रमांक: पीआरओ/डीएलबी/2018/ 7877 - 8082

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
4. मुख्य अधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
7. उप निदेशक (लेट्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समरूप।
8. आयुक्त/अधिशासी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिकाएं समस्त राजस्थान।
9. सीएमएआर एवं विभागीय बेक्साईट पर अपलोड करने हेतु।



जनसम्पर्क अधिकारी